अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याणर्थ प्रकोष्ठ
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः अनु.जाति/जनजाति/प्रकोष्ठ/2014/475 दिनांक 15/5/14

प्रति,
विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक,
समस्त अध्ययनशालाऐं,
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय – अनु.जाति/जनजाति के छात्रों से अग्रिम फीस जमा न कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस विश्वविद्यालय की अध्ययनशाआओं में सत्र 2013–14 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं से उक्त सत्र की पूर्ण फीस जमा कराकर, ही उनके परीक्षा फार्म अग्रेषित करने हेतु, इस कार्यालय के पूर्व पत्र क्रमांक अनु.जाति/जनजाति/प्रकोष्ठ/2014/453 दिनांक 25.04.2014 के द्वारा समस्त विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशकों को सूचित किया गया था, के संबंध में कलेक्टर महोदय, जिला, ग्वालियर की ओर से प्राप्त पत्र क्रमांक छात्रवृति/2014–15/258 दिनांक 12.05.2014 के परिप्रेक्ष्य में आपकी ओर सूचनार्थ प्रेषित है कि अब छात्रों से शुल्क जमा न कराते हुये उनके परीक्षा फार्मो को अग्रेषित कर, छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित करें।

छात्रों के छात्रवृति राशि के प्रस्ताव सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला ग्वालियर की ओर भेजे जा रहे हैं। स्वीकृत राशि शासन से पहले छात्रों के खाते में प्राप्त होगी उसके उपरान्त छात्रों से फीस जमा कराई जावेगी। फीस जमा कराने की सूचना पृथक से जारी की जावेगी।

कुलसचिव

प्रतितिलि –

1. कलेक्टर जिला ग्वालियर ।
2. परीक्षा नियंत्रक/सहा./उप–कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय/जीवाजी विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. विश्वविद्यालय वेवसाइट पर अपलोक करने हेतु।

उप–कुलसचिव
अनु.जाति/जनजाति प्रकोष्ठ

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याणर्थ प्रकोष्ठ
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांकः अनु.जाति/जनजाति/प्रकोष्ठ/2014/ 478 दिनांक 13/5/14

प्रति,
प्राचार्य
जीवाजी विश्वविद्यालय नोडल केन्द्र से
सम्बद्ध,समस्त अशासकीय महाविद्यालय,
जिला, ग्वालियर

विषय – अनु.जाति/जनजाति के छात्रों से अग्रिम फीस जमा न कराने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर नोडल केन्द्र से सम्बद्ध समस्त अशासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2013–14 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं से आपके द्वारा उक्त सत्र की फीस अग्रिम जमा कराने हेतु सूचित किया जा रहा है जिसके कारण छात्र अपनी परेशानियों को लेकर इस विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। छात्रों के अत्यधिक संख्या में आने के कारण छात्रवृति कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। इस संबंध में सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला, ग्वालियर की ओर से प्राप्त पत्र क्रमांक/छात्रवृति/2014/258 ग्वालियर दिनांक 12.5.2014 के परिप्रेक्ष्य में समस्त प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि अनु.जाति/जनजाति के छात्रों से फीस अग्रिम जमा न करावें। किसी भी स्थिति में फीस प्रतिपूर्ति को मुद्दा बनाकर छात्रों/छात्राओं के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न नही होना चाहीए। अतः छात्र/छात्राओं के खाते में छात्रवृति/फीस शासन से प्राप्त होने के उपरान्त ही उनसे राशि जमा कराई जावें।

कुलसचिव

प्रतिलिपि –: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. कलेक्टर जिला ग्वालियर ।
2. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. विश्वविद्यालय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

उप–कुलसचिव
अनु.जाति/जनजाति प्रकोष्ठ